न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/46/2023	2023/522	05-07-2023	08-08-2024

01- कैलाश पुत्र श्री रामसहाय जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी ग्राम सालेटा तहसील थानागाजी जिला अलवर।

-अपीलाण्ट

बनाम

01- राज0 सरकार जरिये पटवारी हल्का सालेटा तहसील थानागाजी जिला अलवर।
02- राज0 सरकार जरिये तहसीलदार थानागाजी जिला अलवर।

-रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध तहसीलदार थानागाजी दिनांक 13.01.2023 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 145/2022

उपस्थितः-
01-श्री नवनीत कुमार तिवाड़ी

-वकील अपीलाण्ट

-: निर्णय :-

अपीलान्ट ने यह अपील तहत अदालत तहसीलदार थानागाजी के आदेश दिनांक 13.01.2023 प्रकरण संख्या 145/2022 जिसके द्वारा अपीलान्ट को आराजी मुतनाजा से बेदखल करने व किये गये निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश दिया गया, से व्यथित होकर पेश की है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पो0 सं0 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ग्राम सालेटा, पटवार हल्का सालेटा, तह0 थानागाजी जिला अलवर की सिवायचक भूमि आराजी ख0नं0 19 रकबा 0.03 है0 भूमि पर अवैध रूप में अपीलान्ट द्वारा पक्का मकान व दुकान बनाकर अतिक्रमण किये जाने बाबत् शिकायती रिपोर्ट पेश की गयी, जिसके तहत धारा 91 भू-राजस्व अधि0 का नोटिस मिन अपीलान्ट को तहत न्यायालय द्वारा जारी किया गया तथा प्रकरण में दिनांक 13.01.2023 को आलोच्य निर्णय पारित करते हुए आदेश किया। अपील हाजा तहत न्यायालय तहसीलदार थानागाजी, जिला अलवर के आदेश दिनांक 13.01.2023 के विरुद्ध पेश की जा रही है, जिसकी सर्वप्रथम जानकारी रेस्पो0 सं0 02 के यहां से अपीलान्ट के नाम से जारी नोटिस कमांक राजस्व/2023/2415 दि0 22.06.2023 प्राप्त होने पर हुई, जिससे अपील हाजा अन्दर अवधि है। रफाये हुज्जत पृथक से दफा 05 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थना-पत्र पेश है। अपील हाजा अदालत श्रीमान् के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में है। अपीलान्ट द्वारा ग्राम पंचायत सालेटा से पट्टेशुदा भूमि वाके ग्राम सालेटा में पुख्ता रिहायशी मकान एवं दो दुकानें निर्मित की हुई है। अपीलान्ट द्वारा किसी सरकारी, गैर-सरकारी या अन्य सिवायचक भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। अपीलान्ट जिस भूमि पर रिहायशी मकान व दुकानें निर्माण कर काविज है, शांतिपूर्वक उपयोग-उपभोग कर रहा है, की बाबत् ग्राम पंचायत सालेटा द्वारा पट्टा सं0 7, मिसल सं0 12 दि0 20.12.2004 को जारी किया गया है। रेस्पो0 सं0 2 द्वारा अपीलान्ट को पूर्व में एक नोटिस दि0 17.10.2022 मनगढंत व बेबुनियाद तथ्यों पर जारी किया था, जबकि मौके पर कोई पैमाईशी करने वास्ते तहसीलदार थानागाजी अथवा उनके अधीनस्थ कोई कर्मचारी मौके पर नहीं आए थे, ना ही मौके पर किसी प्रकार की पैमाईश की गई थी, ना ही ख0नं0 19 रकबा 0.03 है0 गैर-मुमकिन तलाई का सीमाज्ञान किया गया, ना ही कोई मुस्तकिल बिन्दु कायम कर विधिवत पैमाईश की गई है। हल्का पटवारी ग्राम पंचायत सालेटा ने ना ही तो

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

अपीलान्ट, ना किसी ग्रामवासी को पैमाईश करते समय मौके पर बुलाया और ना किसी मौजिज व्यक्ति को मौके पर उपस्थित होने के लिए सूचना दी गई, बल्कि हल्का पटवारी ने बेजा रूप से कार्यालय/घर में बैठकर रिपोर्ट तैयार कर अपीलान्ट को मिथ्या नोटिस ख0नं0 19 रकबा 0.03 है0 गैर–मुमकिन तलाई पर अतिकमण करने बाबत् दिया गया है, जो खिलाफ मौका एवं राजस्व रिकॉर्ड है। अपीलान्ट ने अपनी स्वयं की आबादी भूमि में अपना मकान व दुकान बना रखी हैं, जो अर्सा करीब 20 वर्षो से मौके पर निर्मित हैं एवं उपयोग–उपभोग करता आ रहा है, जिसमें किसी अन्य व्यक्ति का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। उक्त भूमि की बाबत् अपीलान्ट के हक में ग्राम पंचायत सालेटा द्वारा विधिवत पट्टा सं0 7 दि0 20.12.2004 को बाद जांच एवं समुचित फीस जमा करके विधिवत जारी किया गया है। मिन अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट सं0 2 के समक्ष असालतन व वकालतन उपस्थिति दी गई थी, जिसके चलते रेस्पो0 सं0 2 के समक्ष विचाराधीन प्रकरण की ऑर्डरशीट में तारीख पेशी दिनांक 27.10.2022 में अप्रार्थी द्वारा जवाब के लिए अवसर चाहा गया। तारीख पेशी दिनांक 21.11.2022 में अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता मुरारीलाल के द्वारा वकालतनामा पेश किया गया, जवाब हेतु समय चाहा गया। तारीख पेशी दिनांक 09.12.2022 को अप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित, द्वारा जवाब पेश किया गया, जो शामिल पत्रावली किया, दर्ज है, जिनसे श्रीमान् को रोशन होगा कि अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट सं0 2 के समक्ष विस्तृत तथ्यों एवं दस्तावेजात सहित जवाब प्रस्तुत कर दिया गया था एवं अपीलान्ट अधिवक्ता श्री मुरारीलाल थे, परन्तु रेस्पो0 सं0 02 के द्वारा आलोच्य निर्णय दि0 13.01.2023 में अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता बनवारीलाल शर्मा होना एवं जवाब के लिए अपीलान्ट पक्ष द्वारा बार–बार अवसर चाहना, बार–बार अवसर दिया जाना, अपीलान्ट द्वारा कोई सबूत पेश नहीं करना बेजा रूप से वर्णित किया गया है, जो कि मातहत न्यायालय की घोर विधिक लापरवाही को प्रदर्शित करता है, जिसके चलते आलोच्य निर्णय अपास्त व अभिखण्डित फरमाए जाने योग्य है। अपीलान्ट द्वारा मातहत न्यायालय के समक्ष अपना विस्तृत जवाब दस्तावेज सहित प्रस्तुत कर दिया गया था, जिसके चलते मातहत अदालत में विचाराधीन प्रकरण समाप्त होने योगय था, परन्तु मातहत अदालत के द्वारा अपीलान्ट द्वारा पेश जवाब व दस्तावेज पर समुचित गौर ना कर, बेजा व मनगढंत तथ्यों पर तैयार रिपोर्ट पटवारी पर विश्वास करते हुए आलोच्य निर्णय पारित किया गया है जो खारिज फरमाए जाने योग्य है। आलोच्य निर्णय दि0 13.01.2023 के अनुसरण में बेजा रूप से मिन अपीलान्ट को रेस्पोडेन्ट सं0 2 के यहां से जारी नोटिस दि0 22.06.2023 प्रारंभ से ही मिन अपीलान्ट के हक व हकूकों के मुकाबले बातिल बेअसर व शून्य है, जिसकी कार्यवाही उक्त आधार पर ड्रॉप फरमाए जाने योग्य है। मिन अपीलान्ट ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है, जिसके द्वारा किसी सरकारी व गैर–सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया गया है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार थानागाजी जिला अलवर राज0 का निर्णय दिनांक 13.01.2023 प्रकरण संख्या 145/2022 निरस्त फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। सर्वप्रथम प्रार्थना–पत्र दफा 05 कानून मियाद पर विचार किया गया। अपीलान्ट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.01.2023 के विरूद्व यह अपील न्यायालय हाजा को दिनांक 05.07.2023 को पेश की गयी है जो करीब 06 माह विलम्ब से पेश की गयी है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न द्वष्टान्तों में मियाद के बिन्दू पर नरमी का रुख अपनाने का सिद्वान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रुख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थिति दी गई, अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण की ऑर्डरशीट में तारीख पेशी दिनांक 27.10.2022 में अप्रार्थी द्वारा जवाब के लिए अवसर चाहा गया। तारीख पेशी दिनांक 21.11.2022 में अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता मुरारीलाल के द्वारा वकालतनामा पेश किया गया तथा जवाब हेतु समय चाहा गया। तारीख पेशी दिनांक 09.12.2022 को अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश किया गया, जो शामिल पत्रावली किया गया, दर्ज है। अपीलान्ट द्वारा

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विस्तृत तथ्यों एवं दस्तावेजात सहित जवाब प्रस्तुत करने एवं अपीलान्ट अधिवक्ता श्री मुरारीलाल थे, जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य निर्णय दि0 13.01.2023 में अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता बनवारीलाल शर्मा होना एवं जवाब के लिए अवसर चाहना व जवाब के लिए बार–बार अवसर दिया जाना अंकित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट द्वारा कोई सबूत पेश नहीं करना वर्णित किया गया है, जो अधीनस्थ न्यायालय की घोर विधिक लापरवाही को प्रदर्शित करता है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहत न्यायालय के आदेश दिनांक 13.01.2023 निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकॉर्ड के साथ इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं अन्य दस्तावेजात का भली–भांति अवलोकन कर नियमों के आलोक में पुनः विधिवत निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 08.08.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्र कुमार वर्मा)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)